तारीख	कार्यवाही का संक्षिप्त आदेश
27.11.12	[illegible] 0.78.115 [illegible]
16.12.12	[illegible] 17.12.12 [illegible]
17.12.12	[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 11:42:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आसदीन बनाम अमूक वगैरह

दफा 272/11 U/S 88-89 & 188 R.T.Act-

5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय संक्षिप्त जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] 7.12.12	अमूक एवं इसके भाई इस्माइल के विरुद्ध धारा 88-89 व 188 राज. काश्तकारी अधि० के अन्तर्गत दिनांक 22.7.69 को [illegible] न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इसने ग्राम [illegible] में 343 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वाले मौजा झीलडेरी पर अपने आपको काश्तकार घोषित करने की इस्तदुआ की थी। नकल-खसरा पत्रक से उक्त सम्बन्धित ख.नं. 343 रकबा 3 बीघा-12 बिस्वा से हाल ख.नं. 296/0.28, 297/0.25 बनाया जाना साबित होता है। हस्तगत दावा भी हाल ख.नं. 296/0.28, 297/0.25 वाले ग्राम झीलडेरी के सम्बन्ध में धारा 88-89, 188 R.T.Act के अन्तर्गत ही किया गया है। इससे यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि बाकी के बिना डाटा दावा पूर्व वाद सं. 165/69 एवं हस्तगत वाद समान आराजी बाबत एक समान अनुतोष के है। पूर्व वाद सं. 165/69 न्यायालय उपर दि० 30.3.74 को न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि - "चूंकि आराजी मुतदाविया राज्य सरकार द्वारा एलोट शुदा भूमि है और राजस्थान सरकार को फरीक मुकदमा नहीं बनाया गया है। नकील मुद्दा० की उम्र है कि मुकदमे हाजा में राजस्थान सरकार फरीक जरूरी है तथा नोटिस और दफा 80 C.P.C. भी अक्ल दावरी दावा आवश्यक है जो उचित है और दावा हाजा इसी बिना पर काबिल खारिजी है।"

इस प्रकार उक्त विवेचन से यह साबित है कि हस्तगत वि० आ० ख.नं. 296, 297 साबित ख.नं. 343 वाले ग्राम झीलडेरी पर दि० 30.3.74 को निर्णय किया जा चुका है, जिसकी अपील एवं इसके पीलान ने किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है, तथा अब 38 वर्ष बाद उसी अनुतोष को लेकर वाद प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः हस्तगत वाद पर पूर्व निर्णय का सिद्धान्त लागू होता है। प्रार्थी/प्रति द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि वाद वादी बाबत आ.ख.नं. 296/0.28, 297/0.25 वाले ग्राम झीलडेरी [illegible] नगर अन्तर्गत धारा 88-89, 188 R.T.Act [illegible] में खारिज किया जाता है। [illegible] मुकर होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमानुल्लाह खान)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 11:42:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner